

भारत सरकार  
कारपोरेट कार्य मंत्रालय  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5529

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 अप्रैल, 2017/17 चैत्र, 1939 (शक) को दिया गया)

राष्ट्रीय ई-शासन सेवाएं

5529. श्री महेश गिरी:

श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ई-शासन सेवाएं नामक सूचना संस्था (आईयू) स्थापित की हैं और यदि हां, तो उक्त सेवाओं का ब्यौरा और मुख्य विशेषतायें क्या हैं;
- (ख) क्या सरकार ने सूचना संस्था बनने की इच्छुक कंपनियों के लिए कोई विनियम/उप नियम तैयार किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन विनियमों में कब तक तैयार किए जाने की संभावना है;
- (ग) दिवाला और अर्थ-शोधन-अक्षमता संहिता (आईबीसी) के अंतर्गत दिवाला संबंधी सूचना उपयोगिताओं की स्थापना में देरी हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (घ) क्या देरी के कारण उद्योगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसलिए दिवाला और अर्थ-शोधन अक्षमता संहिता का प्रयोजन पूरा नहीं हो रहा है; और
- (ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और सरकार का विचार इन दिवाला सूचना संस्थाओं को कब तक प्रचालन में लाने का है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क): जी, नहीं। सरकार ने राष्ट्रीय ई-शासन सेवाएं नामक कोई इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का गठन नहीं किया है।

(ख) से (ड.): भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने दिनांक 31.03.2017 को राजपत्र अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2016-17/जीएन/आरईजी009 के माध्यम से भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इंफॉर्मेशन यूटिलिटी) विनियम, 2017 अधिसूचित किए हैं जो दिनांक 01.04.2017 से प्रवृत्त किए गए हैं। इस संहिता को अधिसूचित करने के तुरंत बाद इस मंत्रालय ने इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के लिए नियमों, विनियमों और अन्य संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श करने और अपनी सिफारिशें देने के लिए एक कार्यदल का गठन किया था। इस कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट 13 जनवरी, 2017 को प्रस्तुत की। आईबीबीआई ने जनता से परामर्श लेने के बाद और यथोचित प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद विनियम अधिसूचित किए। इस संहिता और इसके अधीन बनाए गए नियमों

और विनियमों में कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए चूक प्रमाणित करने जैसे विकल्पों के प्रयोग की अनुमति दी गई है।

\*\*\*\*\*